रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248897
CG-DL-E-25092023-248897

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4024]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
No. 4024]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

आय-कर

का.आ. 4192(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजन हेतु गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निम्नलिखित वर्ग अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

(क) उच्च स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

(ख) उच्चतर स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

(ग) मध्य स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

स्पष्टीकरण.—गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का उच्च स्तर, उच्चतर स्तर और मध्य स्तर में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीओआर.सीआरई.आरईसी.60/03.10.001/2021-22, तारीख 22 अक्तूबर, 2021 में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगा ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 79/2023/फा.सं. 370142/31/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनंद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

INCOME-TAX

S.O. 4192(E).—In exercise of the powers conferred by section 43D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following classes of non-banking financial companies (NBFCs), for the purpose of the said section, namely:–

(a) all NBFCs classified in the Top Layer;

(b) all NBFCs classified in the Upper Layer;

(c) all NBFCs classified in the Middle Layer.

Explanation.–The classification of NBFCs in the Top Layer, Upper Layer and Middle Layer shall be according to the Reserve Bank of India's guidelines contained in Circular DOR.CRE.REC.No.60/03.10.001/2021-22 dated October 22, 2021.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 79/2023/ F. No.370142/31/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248898
CG-DL-E-22092023-248898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4025] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945
No. 4025] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2023

आय-कर

का.आ. 4193(अ).— केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 43ख के खंड (घक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजन हेतु गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के निम्नलिखित वर्ग अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) उच्च स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

(ख) उच्चतर स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

(ग) मध्य स्तर में वर्गीकृत सभी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी);

स्पष्टीकरण.— गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का उच्च स्तर, उच्चतर स्तर और मध्य स्तर में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीओआर.सीआरई.आरईसी.60/03.10.001/2021-22, तारीख 22 अक्तूबर, 2021 में अंतर्विष्ट निशानिर्देशों के अनुसार होगा ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 80/2023 /फा. सं. 370142/31/2023-टीपीएल]

जिवितेश आनंद, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2023

INCOME-TAX

S.O. 4193(E).— In exercise of the powers conferred by clause (da) of section 43B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following classes of non-banking financial companies (NBFCs), for the purpose of the said clause, namely:–

(a) all NBFCs classified in the Top Layer;

(b) all NBFCs classified in the Upper Layer;

(c) all NBFCs classified in the Middle Layer.

Explanation.– The classification of NBFCs in the Top Layer, Upper Layer and Middle Layer shall be according to the Reserve Bank of India's guidelines contained in Circular DOR.CRE.REC.No.60/03.10.001/2021-22 dated October 22, 2021.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 80/2023/F. No.370142/31/2023-TPL]

JIVITESH ANAND, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL